कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 865 / 2019 / 10–11 / 2217 भोपाल, दिनांक 20/8/25

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 एक्सटेंशन गुलगंज–अमानगंज–पवई– कटनी मार्ग के चौड़ीकरण / निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/30762/2017)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्र क्रमांक / 6-MPC/026/2019-BHO/ दिनांक 05.11.2024 .

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The concerned DFO shall certify that the area proposed for diversion is correct as per the available actual field boundaries in the approved working plan.	वन मण्डल अधिकारी छतरपुर ने अपने पत्र दिनांक 31.07.2025 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अनुमोदित कार्य आयोजना में उपलब्ध वास्तविक सीमाओं के अनुसार ही पाया गया है, विवरण ऑनलाईन पोर्टल में दिनांक 14.08.2025 से अपलोड किया गया है।
2	The balance area of CA, Scheme, KML file & related documents shall also be provided for the project because the "chote bade jhar ka jungle" category is provided in double the extant of area proposed for diversion.	प्रकरण में प्रभावित होने वाली वनभूमि के एवज में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 712 रकबा 61.00 हेक्टेयर पर 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार की गई है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 228 दिनांक 16.06.2025 से राशि रूपये 19102448 /– जारी की गई है, जो ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड है।

-2-

3	Status of Wild Life clearance may also be provided, since it is 0.7 km away from Panna Tiger Reserve.	आवेदक संस्थान द्वारा वन्यजीव अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन परिवेश पोर्टल 2.0 पर WL/MP/ROAD/545815/2025 से किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

19.08.25

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 865 / 2019 / 10–11 / 2218 भोपाल, दिनांक 20/8/25

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) छतरपुर वृत्त, छतरपुर, मध्यप्रदेश।

2– वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, छतरपुर, म0प्र0।

3– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

19.08.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल